रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D).72

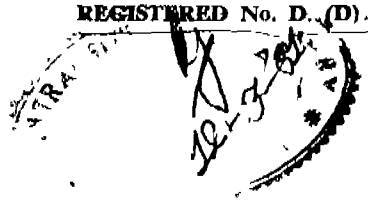

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 1981/माघ 13, 1902

No. 55] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 1981/MAGHA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1981

का०आ० 85 (अ)—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 511/18कक/आई डी आर ए/79 तारीख 22 सितम्बर 1979 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल, सरकार, कलकत्ता को, मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में वे अपवाद निर्बन्धन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को जब तक कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित रहता है उसी रीति से लागू होगा जिस रीति में वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 18कक के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंध	वे अपवाद निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए, स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे।
1	2
धारा 166 और 210 (1)	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उपधारा (1) और धारा 166 के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस सीमा तक लागू नहीं होंगे कि कम्पनी के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष नहीं रखे जाएंगे फिर भी वह तुलनपत्रों की कानूनी विवरणियां कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा—159 (1) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

1	2
धारा 224 और 225	इन धाराओं के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे सिवाय इस बात के संपरीक्षकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 169, 217, 293(1)(घ) और 294	इन धाराओं के उपबंध उक्त उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[फा०सं० 4(12)/76 सी०यू०एस०]
आर०एन० चोपड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, 2nd February, 1981

S.O. 85(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 541(E)/18AA/IDRA/79, dated the 22nd September, 1979, the Central Government has authorised the Secretary to the Government of West Bengal, Closed and Sick Industries, Calcutta, to take over the management of the whole of the industrial undertaking, namely M/s. National Iron and Steel Company Limited, Howrah, for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall, so long as the management of the industrial undertaking remains vested in the Central Government, apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied to it before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provision of the Commpanies Act, 1956	Exceptions, Restrictions and Limitations to which the provision mentioned in column 1 shall apply to the undertaking.
1	2
Sections 166 and 210(1)	Provisions of sub-section (1) of section 210 and, section 166 of the Companies Act, 1956 shall not apply to the said undertaking to the extent that the balance-sheets and profit and loss accounts of the Company need not be placed before the annual general meeting. It shall, however, file its statutory returns of balance-sheets with the Registrar of the Companies. The exemptions will not affect the provision of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 224 and Section 225.	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking, except that the auditors shall be appointed by the Centarl Government.
Section 169, 217, 293(1)(d) and section 294.	Provisions of these sections shall not apply to the said undertaking.

[File No.4(12)/76-CUS]
R. N. CHOPRA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981